<u>न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,</u> <u>गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश</u>

प्रकरण कमांक : 85 / 2005

संस्थापन दिनांक 30.04.2005

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मालनपुर जिला भिण्ड म.प्र.

- अभियोजन

<u>बनाम</u>

1–अरविन्द राणा श्रीनारायण सिंह उम्र 26 साल, निवासी ग्राम निढावली थाना उटीला जिला ग्वालियर म.प्र.

– अभियुक्त

<u>निर्णय</u>

(आज दिनांकको	घोषित
---------------	-------

उपरोक्त अभियुक्त के रिद्ध धारा 279, 337, 304ए भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 17.02.05 को 12:30 बजे सर्वोदय स्कूल के पास एटलस फैक्ट्री रोड मालनपुर पर वाहन ट्रक क्रमांक एम0पी0—06—ई. 2238 को तेजी व लापरवाही से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा महेन्द्र अ0सा05 में टक्कर मारकर उसे साधारण उपहित कारित की तथा गोरे की ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है।

अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 17.02.05 को फरियादी रघुराज अ0सा01 का भाई गोरे सिकरवार एटलस तिराहे की तरफ रोड पर जा रहा था तब पीछे से वैष्णव धर्मकांटे की तरफ से ट्रक कमांक एम0पी0-06-ई.2238 का चालक ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और गोरे को टक्कर मार दी तथा उसके उपर चढ़कर निकल गया फिर आगे जा रहे महेन्द्र अ0सा05 को भी टक्कर मारी। घटना के समय आरोपी अरविन्द ट्रक को चला रहा था। तत्पश्चात फरियादी रघुराज अ0सा01 ने थाना मालनपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी-1 दर्ज कराई जिस पर से आरोपी के विरुद्ध अप0क0 31/05 पर अपराध पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रकट होने से अभियोग पत्र विचारण

10

🚮 प्रकरण कमांक : 85/2005

हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

आरोपी ने अपराध की विशिष्टियां अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है और आरोपी की प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं कि :-

- 1. क्या आरोपी ने घटना दिनांक 17.02.05 को 12:30 बजे सर्वोदय स्कूल के पास एटलस फैक्ट्री रोड मालनपुर पर वाहन ट्रक क्रमांक एम0पी0—06—ई.2238 को उपेक्षा व उताबलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
- 2. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उपरोक्त वाहन का उपेक्षापूर्ण परिचालन कर महेन्द्र अ0सा05 में टक्कर मारकर उसे उपहति कारित की ?
- 3. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उपरोक्त वाहन का उपेक्षापूर्ण परिचालन कर गोरे की ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है ?

/ /विचारणीय प्रश्न क्रमांक ०१ लगायत ०३ पर सकारण निष्कर्ष / /

फरियादी रघुराज अ०सा०1 ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि 15.12.06 से एक वर्ष पूर्व दिन के 12—साढ़े बारह बजे उसका भाई गोरे सिकरवार एटलस फैक्टी की तरफ खाना खाने के लिए जा रहा था तब धर्मकांटे की तरफ से एक ट्रक क्मांक 2238 को डाइवर तेजी व लापरवाही से चला रहा था जिसने गोरे सिकरवार को पीछे से टक्कर मार दी जिससे गोरे की मृत्यु हो गयी। आरोपी ट्रक को खड़ा करके भाग गया। ट्रक को आरोपी अरविन्द चला रहा था। थाने जाकर उसने घटना की रिपोर्ट की थी एफआईआर प्र0पी—1 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस घटनास्थल पर आई थी और नक्शामौका बनाया था। घटना के समय रामवीर व एक अन्य रिठौरा गांव का व्यक्ति मौजूद था। पुलिस ने शव का नक्शा पंचायतनामा बनाया था।

साक्षी जयंतिया अ०सा०२ ने कथन किया है कि वह रघुराज व आरोपी अरविन्द को नहीं जानता उसे घटना के बारे में जानकारी नहीं है। सफीना प्र0पी—2, नक्शा पंचायतनामा प्र0पी—3 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने गोरे सिकरवार को मौके पर देखा था। लोगों ने उसकी मृत्यु ट्रक की टक्कर से होना बताया था। इस साक्षी ने अभियोजन के सुझाव को स्वीकार किया है कि एटलस फैक्टी की तरफ से दिनांक 17.02.05 को गोरे सिकरवार जा रहा था। पर उसने नहीं देखा कि पीछे से ट्रक क्रमांक एम०पी०—06—ई.2238 के चालक ने तेजी व लापरवाही से ट्रक चलाकर गोरे को टक्कर मारी और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी—4 में भी दिए जाने से इंकार किया है। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कथन किया है कि वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था।

महेन्द्रसिंह अ०सा०५ ने कथन किया है कि वह प्रातः ८ बजे ८–10 साल पूर्व कैडबरी फैक्टी के लिए अपनी मोटरसाइकिल से निकला था उसे ड्यूटी नहीं मिली इसलिए वह वापिस आ रहा था। उसका भाई रामबाबू मोटरसाइकिल चला रहा था और वह स्वयं बैठा था। तब रामबाबू ने कहा कि भीड़ कैसी है तब उसने

कहा कि उन्हें क्या करना रास्ते में बजरी पड़ी थी जिस पर उनकी मोटरसाइकिल फिसल गयी जिससे उसे चोटें आईं थीं। पुलिस उसे उठाकर गोहद अस्पताल लायी थी जहां उसका उपचार हुआ था उसके हाथ पैर व आंख में चोटें आईं थीं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि घटना दिनांक को उसके पीछे गोरे नाम का व्यक्ति आ रहा था तब ट्रक कमांक एम0पी0—06—ई.2238 का चालक ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाकर आया और गोरे को टक्कर मार दी फिर उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मारी। इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने घटना देखी थी और स्वतः कथन किया है कि उसे गिट्टी में गिरने से चोटें आईं थीं। और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी—7 में भी दिए जाने से इंकार किया है।

साक्षी मुन्नासिंह अ०सा०३ ने कथन किया है कि 22.02.05 को थाना गोहद में प्र0आरक्षक के पद पर पदस्थ था। थाना प्रभारी की ओर से ए.एस.आई. ट्रक की मैकेनिक जांच हेतु तहरीर लेकर आये थे। उसने उक्त दिनांक को ट्रक नंबर एम०पी०–06–ई.2238 की मैकेनिक जांच की थी। ट्रक को चलाकर देखा गया तो स्टेयरिंग, गीयर, क्लिच, एस्कीलेटर, ब्रेक सही काम करते पाये गये उनमे कोई कमी नहीं पायी गयी। ट्रक के पहियों को हिलाकर देखा तो उनमें कोई भी प्ले, न मैकेनिक कमी पायी गयी। ट्रक की हैडलाईट, बैकलाईट, गियर, साइड इंडीकेटर, हॉर्न सही काम करते पाये गये व साईड ग्लास सही पाये गये। मैकेनिक जांच रिपोर्ट प्र0पी–4 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

साक्षी डॉ0 अशोक मुदगल अ0सा06 ने कथन किया है कि वह दिनांक 17.02.05 को सी.एच.सी. गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को शाम के 4 बजे थाना मालनपुर के हेड कांस्टेबल 321 रमेश शर्मा द्वारा शव परीक्षण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था। मृतक गोरेसिंह पुत्र छोटेसिंह सिकरवार उम्र 25 वर्ष निवासी मालनपुर जिसके शव को शवगृह में रखा गया था। उसने उसी दिन 4:10बजे मृतक का पी.एम. शुरू किया था जिसमें बाह्य परीक्षण के दौरान उसने देखा कि मृतक के पूरे शरीर में अकड़न थी तथा एक खुला हुआ ह गाव जिसमें से आंते बाहर निकल रही थी वह पेट के निचले हिस्से में दाहिनी तरफ था तथा घाव पीछे की तरफ कमर की तरफ भी था उसका स्काटम में घाव था दाहिने तरफ की कमर की हड्डी टूटी हुई थी तथा जांघ की हड्डी भी टूटी हुई थी उसके पेट में खून भरा हुआ था तथा आंते भी फटी हुई पाई गयी थी। उसकी दांयी व बांयी जांघ की फीमर हड्डी टूटी पाई गयी थी तथा पूरी टांग के उपर सूजन एवं छिलन के निशान पाये गये तथा आंतरिक परीक्षण करने पर मृतक के सिर व छाती में किसी प्रकार की कोई एब्नार्मिलटी नहीं पायी गयी थी तथा पेट में जैसा कि पूर्व में वर्णित है वह चोट थी। अन्य कोई उल्लेखनीय चोट पेट के अंदर किसी भी अन्य अंग पर नहीं पाई गयी थी। उसके मतानुसार मृतक की मृत्यु अत्यधिक रक्त स्त्राव जोकि पेट के अंदर हुआ है तथा आंतों के फटने से उत्पन्न सदमे की वजह से हुई है। मृत्यु का प्रकार एक्सीडेन्टल प्रतीत होता है मृतक की मृत्यु परीक्षण के 24 घण्टे के अंदर हुई थी। उसकी रिपोर्ट प्र0पी-8 है जिसके ए से ए भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

साक्षी डाँ० अशोक मुदगल अ०सा०६ ने यह भी कथन किया है कि उसी दिनांक को उसी आरक्षक द्वारा लाये गये आहत महेन्द्र पुत्र किशोरी उम्र 42 वर्ष निवासी रिठौराकलां को मेडीकल परीक्षण हेतु लाये जाने पर पुलिस के द्वारा जानकारी में चोटें एक्सीडेन्टल बतायी गयी थी। उसके द्वारा मेडीकल के दौरान निम्न चोटें पाई गयी थी। चोट नं01 एक फटा हुआ घाव जोकि छिलन के साथ जिसका आकार 6 गुणाआधागुणा आधा से.मी. था जो माथे के उपर था तथा उसके पास एक घाव जिसमें एब्रेजन था जो 8से.मी. लंबा व 3—4से.मी. चोडाई का था। दूसरा घाव फटा हुआ था जोकि एब्रेजन का था आकार 3गुणाआधागुणाआधा से.मी. था जिसके चारों तरफ एब्रेजरन था जो कि बांयी कोहनी के पृष्ट भाग पर था। तीसरा घाव आहत बांयी छाती में नीचे की तरफ दर्द की शिकायत करता है लेकिन बाहर से कोई चोट दिखाई नहीं देती है। उसके मतानुसार उपरोक्त चोटें जिसमें चोट कमांक 3 के लिए एक्सरे की सलाह दी थी अन्य चोटें साधारण प्रकृति की थी तथा कड़े एवं भौंथरी सतह से घिसने के कारण या टकराने के कारण आई हुई प्रतीत होती थी जो परीक्षण के 24 घण्टे के अदंर की थी। मेडीकल रिपोर्ट प्र0पी—9 है जिसके ए से ए भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

साक्षी रामप्रकाश अ०सा०४ ने कथन किया है कि वह आरोपी अरिवन्द को जानता है वर्ष 2005 में उसके पास ट्रक क्रमांक एम०पी०—06—ई.2238 था जिसे दिनेश चलाता था अरिवन्द अन्य गाड़ी चलाता था इस गाड़ी को अरिवन्द नहीं चलाता था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि उसने प्र0पी—6 के दस्तावेज में यह लिखकर दिया था कि दिनांक 17.02.05 को ट्रक क्रमांक को आरोपी अरिवन्द ने तेजी व लापरवाही से चलाकर एक्सीडेन्ट किया था।

12 प्रकरण में घटना के अभिकथित चक्षुदर्शी साक्षी जयंतिया अ०सा०२ ने ह ाटना दिनांक को आरोपी द्वारा उसके समक्ष वाहन ट्रक क्रमांक एम०पी०–06–ई. 2238 चलाया जाने से इंकार किया है। साक्षी महेन्द्र अ०सा०५ जोकि अभियोजन मामले में ही आहत साक्षी है, ने भी स्पष्ट इंकार किया है कि ट्रक क्रमांक एम०पी०–06–ई.2238 को तेजी व लापरवाही से चलाकर गोरे को टक्कर मार थी तथा उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर लगी थी। महेन्द्र अ०सा०५ मामले का महत्वपूर्ण साक्षी है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य में रामप्रकाश अ०सा०४ जो ट्रक क्रमांक एम०पी०–06–ई.2238 का वाहन स्वामी है, ने भी घटना के समय आरोपी द्वारा वाहन चलाये जाने का कथन नहीं किया है।

एफ.आई.आर. प्र0पी—1 जो रघुराज अ0सा01 द्वारा साबित की गयी है, में फिरयादी रघुराज अ0सा01 घटना का चक्षुदर्शी साक्षी होना उल्लिखित नहीं है। लेकिन प्रतिपरीक्षण के पैरा 2 में रघुराज ने कथन किया है कि घटना के समय वह और उसका भाई गोरे बगल—बगल में चल रहे थे। और प्रतिपरीक्षण के पैरा 7 में इस सुझाव से इंकार किया है कि वह घटना के समय उपस्थित नहीं था और उसे फोन करके बाद में बताया गया था। अतः न्यायालयीन साक्ष्य में इस साक्षी ने स्वयं को घटना का प्रत्यक्ष साक्षी बताया है। लेकिन प्रतिपरीक्षण के पैरा 2 में रघुराज ने स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को उसे नहीं मालूम था कि ट्रक का ड्राइवर कौन था और पैरा 4 में कथन किया है कि ड्राइवर का नाम 2—3 दिन बाद पता चला था जो दीवानजी अर्थात पुलिस कर्मचारी द्वारा ही बताया गया था। जिस दिन उसका बयान प्र0डी—1 लिखा गया उस दिन भी उसे चालक का नाम नहीं मालूम था। लेकिन कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस में रघुराज ने अरविन्द राणा द्वारा ट्रक चलाया जाना बताया है। अतः न्यायालयीन साक्ष्य से धारा 161 दप्रस के अधीन

आरोपी का नाम वर्णित किया जाना उक्त कथन को संदेहास्पद बनाता है।

14 रघुराज ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि आरोपी ट्रक को खड़ा करके भाग गया था और प्रतिपरीक्षण के पैरा 2 में भी यही कथन किया है कि ट्रक का झाइवर ट्रक को सूर्या फैक्टी के पास घटनास्थल से आधा कि0मी0 दूर खड़ा करके भाग गया था और पैरा 3 में कथन किया है कि रिपोर्ट करने के बाद जहां ट्रक खड़ा था वहां वह गया जहां एक और ट्रक खड़ा था। जबिक एफआईआर प्र0पी—1 में इस साक्षी ने लेख कराया है कि ट्रक चालक रिटौरा की तरफ ट्रक लेकर भाग गया। उक्त तथ्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि घटनास्थल से ट्रक की जप्ती नहीं हुई है और रिपोर्ट करने के पूर्व ही उसे ट्रक खड़ा रहने का ज्ञान था परन्तु उसने एफआईआर में ट्रक भाग जाने का तथ्य लिखाया है जो महत्वपूर्ण विरोधाभास की श्रेणी में आता है। एफआईआर प्र0पी—1 के संबंध में इस साक्षी के कथनानुसार एफआईआर मौके पर ही लिखी गयी थी। अतः जबिक मौके के समीप ही ट्रक खड़ा था और एफआईआर भी मौके पर ही लिखाई गयी थी तब एफआईआर प्र0पी—1 में ट्रक का भाग जाना लिखाया जाना इस साक्षी की मौके पर उपस्थिति को संदेहास्पद बनाता है।

रघुराज अ0सा01 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 6 में कथन किया है कि घटना के समय ट्रक बांये हाथ पर अपनी साइड से ही चल रहा था। लेकिन वह स्वयं दाहिने हाथ पर चल रहे थे और उसका भाई 8–10 हाथ की दूरी पर ही चल रहा था। अतः जबिक घटना के समय ट्रक सही दिशा में जा रहा था और मृतक गलत दिशा में जा रहे थे और दोनों विपरीत दिशा में जा रहे थे तब अभियोजन मामले के अनुसार पीछे से टक्कर मारे जाने का तथ्य ही स्पष्ट नहीं होता है।

रघुराज अ०सा०१ ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 10 में स्पष्ट कथन किया है कि टक्कर मारने वाली गाड़ी का नंबर उसने स्वयं नहीं पढ़ा मौके पर राजवीर था जिसने उसे नंबर पढ़कर सुनाया। उसने अपनी रिपोर्ट में ट्रक का नंबर लिखवा दिया था लेकिन पैरा 3 में कथन किया है कि उसने ट्रक का नंबर नहीं लिखाया पुलिसवालों ने लिख लिया था। अतः ट्रक का नंबर लिखाये जाने के संबंध में भी रघुराज ने अपने प्रतिपरीक्षण में ही अलग—अलग कथन किए हैं।

अतः फरियादी रघुराज अ०सा०1 द्वारा न्यायालयीन साक्ष्य में प्रथम बार स्वयं को घटना का प्रत्यक्ष साक्षी के रूप में वर्णित किया गया है जबिक एफआईआर प्र०पी—1 में उसने स्वयं को घटना का प्रत्यक्ष साक्षी उल्लिखित नहीं किया है। आरोपी का नाम ज्ञात होने के संबंध में भी उसने धारा 161 दप्रस के अधीन दिए कथन में उल्लिखित होने पर भी नाम बताये जाने से इंकार किया है और आरोपी का नाम भी पुलिस से ही ज्ञात होना वर्णित किया है। मुख्यपरीक्षण में भी इस साक्षी ने वाहन का पूरा नंबर नहीं बताया है और प्रतिपरीक्षण में भी वाहन का नंबर बताये जाने के संबंध में अलग—अलग कथन किए हैं। मृतक और ट्रक के सामान्यतः विपरीत दिशा में घटना के समय चलाया जाना बताया है जिससे मृतक की मृत्यु पीछे से टक्कर लगकर होना स्वमेव अस्वाभाविक हो जाती है। अतः रघुवीर अ०सा०1 के कथन निर्भर रहने योग्य नहीं हैं अन्य आहत महेन्द्र अ०सा०5 ने ट्रक से दुर्घटना न होना बतायी है अपितु गोरेसिंह की मृत्यु उसके समक्ष ट्रक दुर्घटना में होने से इंकार किया जबिक अभियोजन मामले के अनुसार एक ही घाटना के अनुकम में ही उसे चोटें आई हैं प्रत्यक्ष साक्षिया जयंतिया अ०सा०2 ने भी अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। अन्य साक्षी महावीर को अभियोजन

6 प्रकरण कमांक : 85/2005

परीक्षित कराने में असमर्थ रहा है। उपरोक्त संपूर्ण तथ्य विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन मामले को संदेहास्पद बनाते हैं जिसके परिणामस्वयप अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध करने में असफल रहता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी ने दिनांक 17.02.05 को 12:30 बजे सर्वोदय स्कूल के पास एटलस फैक्ट्री रोड मालनपुर पर वाहन ट्रक क्रमांक एम0पी0-06-ई.2238 को तेजी व लापरवाही से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा महेन्द्र अ०सा०५ में टक्कर मारकर उसे साधारण उपहति कारित की तथा गोरे की ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है।

परिणामतः आरोपी को धारा २७१, ३३७, ३०४ए भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं। 19

20 प्रकरण में जप्त वाहन ट्रक कमांक एम0पी0-06-ई.2238 स्पूर्दगी पर है। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात उन्मोचित समझा जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

दिनांक :-

सही / – (गोपेश गर्ग) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी AND THE PROPERTY OF THE PROPER गोहद जिला भिण्ड म०प्र0